किम व पुतिन ने निकट संबंध बनाने का संकल्प जताया

व्लादिवोस्तोक, 25 अप्रैल (एएफपी)।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने गुरुवार को आमने–सामने की अपनी पहली मुलाकात में दोनों देशों के बीच निकट संबंध स्थापित करने का संकल्प लिया।

रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में दोनों नेताओं के बीच शिखर वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब किम अमेरिका के साथ अपने परमाणु गतिरोध के संबंध में समर्थन हासिल करना चाहते हैं और पुतिन इस मामले में रूस को भी एक खिलाड़ी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। वार्ता के लिए जाने से पहले दोनों नेता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने हाथ भी मिलाया। किम और पुतिन की वार्ता उम्मीद से लंबी, करीब दो घंटे चली। बैठक के लिए जाने से पहले दिए संक्षिप्त बयानों में दोनों नेताओं ने रूस और उत्तर कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत बनाने की उम्मीद व्यक्त की।

श्रीलंका के रक्षा सचिव का इस्तीफा

कोलंबो, 25 अप्रैल (भाषा)।

श्रीलंका के रक्षा सचिव हेमसिरी फर्नांडो ने ईस्टर बम विस्फोटों के कुछ दिनों बाद गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ईस्टर रविवार को तीन चर्चों और तीन लक्जरी होटलों में हुए आत्मघाती हमलों में लगभग 360 व्यक्ति मारे गए थे ओर 500 से अधिक घायल हुए थे।

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने पहले से खुफिया सूचना होने के बावजूद विस्फोटों को रोकने में विफल रहने के बाद रक्षा सचिव फर्नांडो और पुलिस महानिरीक्षक पुजीत जयसुंदरा को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए कहा था।

श्रीलंका में मरने वाले भारतीयों की संख्या हुई 11

कोलंबो, 25 अप्रैल (भाषा)।

श्रीलंका में रविवार को ईस्टर के समय गिरजाघरों और महंगे होटलों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक और व्यक्ति के दम तोड़ने से इन विस्फोटों में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। श्रीलंका में इन धमाकों की जांच के लिए अब तक कुल 76 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

उधर श्रीलंका में जांच अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों से हमलों के सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई के नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) के साथ संदिग्ध संबंध हैं। हालांकि एनटीजे ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए हमले को अंजाम देने वाले आत्मघाती हमलावरों की पहचान भी की है।

चीनी नौसेना की परेड में पाक जहाजों की गैरमौजूदगी

बेजिंग, 25 अप्रैल (भाषा)।

चीनी सेना ने गुरुवार को कहा कि वह अपने भारतीय और पाकिस्तानी समकक्षों को हमेशा महत्त्व देती है और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए तैयार है लेकिन चीनी नौसेना की 70वीं जयंती के मौके पर आयोजित परेड के दौरान पाकिस्तानी जहाजों की गैरमौजूदगी पर उसने कुछ नहीं कहा।

दो भारतीय युद्धपोत आइएनएस कोलकाता और आइएनएस शक्ति ने क्विंगदाओ में 23 अप्रैल को चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग की अध्यक्षता में हुई परेड में हिस्सा लिया था।

श्रीलंका ने आगमन पर वीजा की सुविधा स्थगित की

कोलंबो, 25 अप्रैल (भाषा)।

श्रीलंका ने रविवार को ईस्टर के मौके पर देश में सबसे भयावह आतंकी हमले में 350 से अधिक लोगों के मारे जाने और 500 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद गुरुवार को 39 देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा की सुविधा देने की योजना गुरुवार को स्थगित कर दी। साथ ही ड्रोन और मानवरहित उड़ानों पर भी अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी गई है।

पर्यटन मंत्री जॉन अमारातुंगा ने आगमन पर वीजा सुविधा स्थगित करने के बयान में कहा कि यद्यपि 39 देशों के नागरिकों को आगमन पर वीजा देने को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए थे, लेकिन हमने अब फैसला किया है कि मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए इसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। जांच में हमलों में विदेशी संपर्कों का खुलासा हुआ है और हम नहीं चाहते कि इस सुविधा का दुरुपयोग हो। आगमन पर वीजा उस पायलट कार्यक्रम का हिस्सा है जो मई से अक्तूबर के ऑफ सीजन के दौरान देश में पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था।

श्रीलंका ने गुरुवार को सेना की मदद के लिए छापे तेज कर दिए हैं और धमाकों के सिलसिले में 16 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा कि हमलों के सिलसिले में 139 लोगों की पहचान संदिग्धों के तौर पर हुई है। श्रीलंका के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि ड्रोन और मानवरहित उड़ानों पर पाबंदी अगली सूचना तक लागू रहेगा।

इस बीच, हमलों को अंजाम देने वाले दो संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों के पिता को अपने बेटों को आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में मदद करने और उन्हें उकसाने के संदेह में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। मसाला व्यापारी मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम के दो बेटों इल्हाम अहमद इब्राहिम और इमसथ अहमद इब्राहिम ने रविवार को शांगरी–ला और सिनामॉन ग्रैंड होटल में कथित तौर पर आत्मघाती विस्फोट किए थे। पुलिस ने इन भाइयों के पिता को अपने बेटों को 'मदद करने और उकसाने' के संदेह में गिरफ्तार किया है।

दुनिया भर का प्लास्टिक बहकर जा रहा अटलांटिक महासागर

मेलबर्न, 25 अप्रैल। हिंद महासागर एक इसी जगह है जहां दुनिया का सबसे अधिक प्लास्टिक अवशेष पाया जाता है लेकिन यहां से कूड़ा आखिर कहा जाता है? यह रहस्य बना हुआ था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (यूडब्ल्यूए) के शोधकर्ताओं ने हिन्द महासागर में प्लास्टिक अवशेष को मापने और उसे ट्रैक करने के लिए छोटा अध्ययन किया। पीएचडी छात्रा मिरिजाम वैन डेर महीन ने कहा, 'एशियाई मानसून की वजह से दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिण–पूर्व हवाएं प्रशांत व अटलांटिक महासागर की हवाओं की तुलना में अधिक तेज चलती हैं। ये तेज हवाएं प्लास्टिक अवशेषों को पश्चिम हिंद महासागर में पश्चिम की ओर धकेलती हैं।' चारी पैट्टीराची बताया कि हर वर्ष 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक अवशेष समुद्र में आता है। (भाषा)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
चतुर्थ तल, राजेन्द्र भवन राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008

ई–नीलामी – बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे अधिनियम कहा गया है) के तहत अचल/चल आस्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा जन साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बंधक रखी गई निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, बैंक की बकाया राशि की वसूली लागू ब्याज, प्रभारों तथा लागतों इत्यादि सहित करने के लिए नीचे वर्णित शर्तों के अनुसार मेगा ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी। नीचे वर्णित सम्पत्तियां प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (इसमें आगे नियमावली कही गई है) के नियम 9 के तहत "जैसी है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं" आधार पर बेची जाएंगी। :–

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर तथा शाखा का नाम	सम्पत्ति (सभी सम्पत्तियां भौतिक कब्जे में हैं)/ सम्पत्ति स्वामी का वर्णन	धारा 13(2) के तहत सूचना में वर्णित बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय खाता नंबर और आईएफएससी कोड	प्राधिकृत अधिकारी तथा सम्पर्क नंबर
1.	मैसर्स श्री ओवरसीज स्वामी – राजेश कुमार गारंटर :– रोहताश कंवर शाखा : आरओएसएआरबी, नई दिल्ली	ग्राम असालतपुर, इन्द्रा पार्क के नाम से मशहूर कालोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित रेक्टेंगल नंबर 9, किला नंबर 6, 7, 14 एवं 15 में से प्लॉट नंबर 68 के ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 01, कॉर्नर प्लॉट, "परिमाप निर्मित क्षेत्रफल 166.56 वर्ग फीट तथा प्रथम तल पर स्थित सम्पत्ति "निर्मित क्षेत्रफल परिमाप 810 वर्ग फीट, (बिना मेजनाईन फ्लोर के) श्री रोहताश कंवर पुत्र श्री चंदर भान (गारंटर मैसर्स श्री ओवरसीज)	रू. 95,12,106/– + 29–05–2016 की प्रभावी तिथि से आगे ब्याज तथा खर्चे एवं अन्य प्रभार / 29–07–2016	50.00 लाख / 5 लाख / 0.25 लाख	01–06–2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक खाता नंबर 06860400000353 खाते का नाम : नया मध्यस्थ खाता आईएफएससी – BARB0PUSARO आईएफएससी में पांचवां वर्ण "शून्य" है	श्री एस. पी. सिंह 8929031261 011–25781316

बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 30–05–2019
सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 26–04–2019 से 30–05–2019 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक

बिक्री नीचे वर्णित नियम एवं शर्तों पर की जाएगी :
नीलामी–सह–बिक्री आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net के माध्यम से ई–नीलामी विधि में संचालित की जाएगी।
1. उपरोक्त तालिका में प्रत्याभूत आस्तियों का यथेष्ट विवरण प्रस्तुत करने हेतु समुचित सावधानी बरती गई है। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, मिथ्याकथन अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले विस्तृत नियमों एवं शर्तों की जानकारी के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखने तथा यहां ऊपर प्रत्येक सम्पत्ति के सामने वर्णित सम्पत्ति हेतु संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।
3. प्रत्याभूत आस्ति सुरक्षित मूल्य से कम या बराबर पर नहीं बेची जाएगी। नीलामी सुरक्षित मूल्य से एक वृद्धि अधिक पर आरंभ की जाएगी तथा बोलीदाता अपनी बोली यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम वृद्धि राशि द्वारा बढ़ाने के लिए परस्पर बोली लगाने हेतु स्वतंत्र होंगे।
4. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) एनईएफटी/आरटीजीएस निधि अंतरण/डिमांड ड्राफ्ट (दिल्ली में देय) के माध्यम से 30–05–2019 को अथवा पूर्व अप. 5.00 बजे तक नामित खाते में जमा की जाएगी, जिसका विवरण ऊपर तालिका में कालम नंबर 8 में दिया गया है, जहां आईएफएससी कोड का 5वां वर्ण "शून्य" है।
5. इच्छुक बोलीदाता, जो ईएमडी जमा कर चुके हैं, उनको निम्नलिखित दस्तावेज 30–05–2019 को अथवा पूर्व आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर, पोर्टल पर उपलब्ध कालमों/फील्ड्स के अनुसार, अपलोड करने चाहिए :
क) ईएमडी जमा का प्रमाण, ख) विधिवत भरा गया बोली प्रपत्र, ग) भारत सरकार द्वारा जारी, इच्छुक बोलीदाता के फोटो तथा आवासीय पता युक्त पहचान पत्र तथा पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु दस्तावेज की मूल प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घ) बोलीदान प्रक्रिया में भाग लेने हेतु लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने हेतु अनुरोध। इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सृजित कर सकते हैं। यदि इच्छुक बोलीदाता लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बिड प्रक्रिया के बारे में किसी सहायता के इच्छुक हैं, मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–।।, ओरियंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कालेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा –06351896834 ई–मेल – Delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, नीतीश झा – 7982880393 हेल्पलाइन नंबर 079.61200595/520/548 हेल्प लाइन ई–मेल आईडी – support@auctiontiger.net पर सम्पर्क कर सकते हैं। वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर ऑनलाइन अपलोड करने के लिए तथा किसी सम्पत्ति संबंधी पूछताछ के लिए आप संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। सम्पर्क विवरण ऊपर दिया गया है।
6. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक और एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के जरिये ईएमडी भुगतान के पुष्टिधारक बोलीदाताओं को ही ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी। प्राधिकृत अधिकारी का कोई भी या सभी बोलियां स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत अधिकारी का, नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी स्थगित या प्रास्थगित या निरस्त करने अथवा बीच में रोक देने या नीलामी के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम मान्य होगा।
7. नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में नीलामी का अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
8. यदि बोलीदान प्रक्रिया समाप्ति तक और कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो सबसे ऊंची बोली (सुरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर नहीं) देने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली उसके पक्ष में छूटते ही क्रय राशि की 25: राशि तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस तक (पहले जमा की गई धरोहर राशि सहित) जमा करनी होगी। यदि वह ऐसी राशि जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की जा चुकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
9. बिक्री मूल्य की 25: राशि जमा करने मात्र से सफल बोलीदाता बिक्री की पुष्टि उसके पक्ष में करवाने का अधिकारी नहीं होगा। बिक्री की पुष्टि ई–नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अधीन और उस संबंध में प्रत्याभूत क्रेडिटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
10. यहां ऊपर क्रम संख्या 10 की शर्तों के अनुरूप राशि जमा करने के पश्चात सफल बोलीदाता को, प्राधिकृत अधिकारी के पास, बिक्री मूल्य की शेष 75: राशि, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिन के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य की शेष राशि जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा।
11. यदि बैंक की बकाया राशि उसके द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित कर्जदार या गारंटर द्वारा/उसकी ओर से, बिक्री के लिए नियत तिथि से पहले जमा कर दिया जाता है, तो कोई बिक्री संचालित नहीं की जाएगी।
12. सभी कानूनी देयताएं/अनुषंगी प्रभार/अन्य बकाया जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, कर इत्यादि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
13. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम में जारी किया जाएगा, जिसमें बोली प्रस्तुत की गई है।
14. बैंक ने इसको ज्ञात ऋणभारों का खुलासा कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई–नीलामी सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकार, ऋणभार अथवा सरकारी या किसी अन्य को देय किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के संबंध में ऋणभारों, जिनमें सम्पत्ति कर हेतु कानूनी बकाया, बिजली बकाया इत्यादि शामिल हैं, के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
15. बोलीदाता को समुचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक–अप इत्यादि सुनिश्चित करना होगा। इंटरनेट, बिजली की गड़बड़ी या तकनीकी कारणों/आकस्मिकताओं के कारण उत्पन्न होने वाली बाधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
16. बैंक किसी एक या अधिक सम्पत्तियों के लिए बोली लगा सकता है, यदि ऐसा उपयुक्त समझा जाता है।
बोलीदाताओं को अपने स्वयं के हित में अंतिम मिनटों और सेकंडों में बोली प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। क्योंकि बैंक अथवा सेवा प्रदाता विक्रेता की ओर से किसी गड़बड़ी/खराबी (बिजली या इंटरनेट की गड़बड़ी) के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए बोलीदाताओं से बिजली आपूर्ति बैक–अप इत्यादि जैसी समस्त आवश्यक व्यवस्था/विकल्प तैयार रखने का अनुरोध किया जाता है, ताकि वे ऐसी परिस्थिति से बच कर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक (सीसीए) द्वारा जारी नए अंतरप्रचालन–दिशानिर्देशों के अनुसार, ई–प्रोक्योरमेंट अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर (एसएसएल) सर्टिफिकेट नए एलगोरिदम, एसएचए2 पर सृजित किया जाता है। इन प्लेटफार्म्स के लिए लागू डिजिटल सर्टिफिकेट भी एसएचए2 एलगोरिदम अनुसारी होना चाहिए। उसके लिए, उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/लैपटॉप में विंडोज एक्सपी (एसपी3)/विंडोज विस्टा/विंडोज 7 संस्थापित मौजूद है। विंडो एक्सपी सर्विस पैक–3 के मामले में, यदि कोई समस्या होती है, तो आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं, जो हमारे ई–नीलामी पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को सरफासी ऐक्ट के तहत बिक्री हेतु 30 दिन का कानूनी नोटिस
उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज सहित उपर्युक्तानुसार बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दें। ऐसा करने में विफल होने पर सम्पत्तियों की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई होगी, कर्जदार/गारंटरों से ब्याज एवं लागतों सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 24–04–2019 — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के मामले में
तथा
लिक्सिल विण्डो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड ("कम्पनी") जिसका पंजीकृत कार्यालयः ई–21, 1 ला एवं 2 रा तल, हौज खास, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110016 के मामले में
---- आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षेत्र) दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 1 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा 'ईओजी' में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।
ई–21, 1 ला एवं 2 रा तल, हौज खास, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली–110016

बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से
लिक्सिल विण्डो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
तिथिः 25 अप्रैल, 2019 — आशीष गुप्ता
स्थान–गुड़गांव — निदेशक
DIN: 07088053

अनुसूची 1
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]

कन्टेन्टमार्ट प्राईवेट लिमिटेड के शेयरधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	कन्टेन्टमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	18.8.2015
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट व्यक्ति का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74999HR2015PTC056420
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः भूतल, प्लॉट 64, सेक्टर 44, गुड़गाँव, हरियाणा–122002, भारत
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि	मंगलवार, 23 अप्रैल, 2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई–मेल का पता, टेलीफोन नंबर तथा पंजीकरण संख्या	नामः शालु खन्ना पताः ए 16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली, ई–मेल पताः skhanna@llca.net टेलीफोन नं. +91–11–42591800, पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523 पत्राचार/दावे जमा करने के लिये सम्पर्क का पताः सुश्री शालु खन्ना, लूथरा एंड लूथरा रीस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वैन्सी एडवायजर्स एलएलपी ए–16/9, बसंत विहार, नई दिल्ली, ई–मेल पताःcpl.vl@llca.net टेलीफोन नं. +91–11–42591800
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	बुधवार, 22 मई, 2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कन्टेन्टमार्ट प्राईवेट लिमिटेड ने मंगलवार, 23 अप्रैल, 2019 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू की है।
एतद्द्वारा कन्टेन्टमार्ट प्राईवेट लिमिटेड के शेयरधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी शेयरधारक व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
तिथिः 25 अप्रैल, 2019 — हस्ता./–
स्थानः दिल्ली — परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षरः शालु खन्ना

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank Faithful. Friendly.
बी.ओ.: मानेसर शाखा, कासना रोड, जिला गुड़गांव (बीआईसी– 8237)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8 (1)]
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडीकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर निम्नलिखित ऋणधारक (कों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक (कों) गारन्टर (रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 अप्रैल, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज तथा यहां नीचे वर्णित राशि के लिये सिंडीकेट बैंक (बी.ओ.: मानेसर शाखा) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना की तिथि
ऋणधारकः 1) मै. यादव टेलीकॉम, सी/ओ अमित यादव, कासन रोड, मानेसर, जिला गुड़गाँव–122050 2) श्री अमित यादव पुत्र श्री महिपाल सिंह, माडर्न स्कूल के निकट, वी एवं पीओ कपरीवास, जिला–रेवाड़ी–123401 गारन्टरः श्री महिपाल सिंह ग्राम एवं पीओ कपरीवास, जिला– रेवाड़ी–123401	श्री अमित यादव, पुत्र श्री महिपाल सिंह के स्वामित्व में गव. सीनि.सेक. स्कूल के निकट, ग्राम कपरीवास, तहसील धारुहेरा, जिला रेवाड़ी–123401 में स्थित आवासीय मकान। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः श्री जगपाल सिंह का मकान पश्चिमः श्री हरपाल का प्लॉट उत्तरः गली, दक्षिणः श्री करण सिंह तथा उमा सिंह का प्लॉट	01.02.2019 को रु. 35,05,503.73 (रुपये पैंतीस लाख पांच हजार पांच सौ तीन तथा पैसे तिहत्तर मात्र)	13.2.2019 कब्जा सूचना की तिथि 22.4.2019

तिथिः 22.4.2019 स्थानः मानेसर — प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी–।।
ऋण वसूली अधिकरण–।।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 190/2018 — दिनांकित : 27.02.2019
बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री मोहसिन खान

सेवा में
1. श्री मोहसिन खान, पुत्र श्री बशीर खान, प्रोपराइटर मैसर्स फल्कोरिया स्टाइल IX/2793-A, खसरा नं .203 में से, गली नं. 16, रघुबरपुरा नं. 2, गाँधी नगर, दिल्ली – 110031, दूसरा पताः ए–14, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद, दिल्ली–110032, तीसरा पताः 6669, भूतल, शिना मार्केट, जनता गली, गांधी नगर, दिल्ली–110031, चौथा पताः 3933, भूतल, गली नं..13, शांग मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली–110031

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–।।।, दिल्ली ओ.ए सं 634/2015/डीआरटी–।।। दिल्ली में आपके द्वारा देय रू. 53,41,530/– (रु. तिरेप्पन लाख इक्तालीस हजार पाँच सौ तीस मात्र) दिनांक 10.02.2017 से साधारण ब्याज एवं लागतो का प्रमाण–पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।
और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
और जैसा कि रू. 53,41,530/– (रु. तिरेप्पन लाख इक्तालीस हजार पाँच सौ तीस मात्र) ओए की फाईलिंग की तिथि से अर्थात 10.02.2017 से वसूली की तिथि तक प्रभावी @13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इत्यादि सहित कर्जदारों द्वारा देय होगा।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा 30.05.2019 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती हैं) ई–नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा वेबसाइट https://www.bankeauctions.com मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि., उद्योग विहार फेज–2, गल्फ पैट्रोकैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, (हरियाणा)–122015, हेल्पलाईन नं. +91-124-4302020/21/22/23/24, मोबाइल नंबर 09813887931, ई–मेल : support@bankeauctions.com से सम्पर्क करें।
अन्य विवरण हेतु सी एच बैंक के ऑफिसर, श्री डी.एस. बिष्ट, मो. 9971846693 से सम्पर्क करें।
उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के भाग की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लॉट की बोली छुट जाती है, कथित प्रमाणपत्र में अंकित बकायों, ब्याज लागत (जिसमें बिक्री की लागत शामिल है) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है /प्रस्तुत की जाती है या इस आशय का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज वा लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।
बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नही करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरुप ही बिक्री की जाएगी।
बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।
1 आरक्षित मूल्य के नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	बंधक सम्पत्ति अर्थात IX/279-A, खसरा नं. 203 में से, गली नं. 6, रघुबरपुरा नं. 2, गाँधी नगर, दिल्ली–110031 में स्थित	रु. 59.10 लाख (रु. उनसठ लाख दस हजार मात्र) धरोहर राशि : रु. 5.91 लाख (रु. पाँच लाख इक्यान्वे हजार मात्र)

2. बोली, कम से कम रू. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. धरोहर राशि रु. 5.91 लाख (रु. पाँच लाख इक्यान्वे हजार मात्र) जमा करने हेतु पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली में देययोग्य हो को वसूली अधिकारी –।।, डीआरटी–।।।, दिल्ली को दिनांक 21.05.2019 तक देनी होगी। धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नही की जायेगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।।, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि डी आर टी – ।।।, दिल्ली से उपयुक्त आवेदन के पश्चात् ई–नीलामी की तिथि के अगले दिन प्राप्त की जा सकती है।
7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विवरणानुसार जमा करनी होगी।
8. क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000/– तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/– से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी–।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा।
8. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।
10. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार" पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

क्र. सं	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	बंधक सम्पत्ति अर्थात IX/279-A, खसरा नं. 203 में से, गली नं. 6, रघुबरपुरा नं. 2, गाँधी नगर, दिल्ली–110031 में स्थित	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 27 फरवरी, 2019 को दिया गया। (विकास जेटली) वसूली अधिकारी–।।, ऋणवसूली अधिकरण–।।।, दिल्ली

देना बैंक DENA BANK (A Government of India Enterprises) Trusted Family Bank
"देना बैंक (अब, बैंक ऑफ बड़ौदा), अंचल कार्यालय
छठा तल, कनेक्टस टावर–1, भवभूति मार्ग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली–110001, फोन नं.: 011–23219686, 23219688

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद् द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल संपत्तियों जिसका देना बैंक, अब, बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/ भौतिक कब्जा (जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है) किया गया है, की ऋणधारकों/ गारन्टरों (जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है) से देना बैंक, अब, बैंक ऑफ बड़ौदा (प्रतिभूत क्रेडीटर) के नीचे वर्णित बकाए की वसूली के लिए 28.5.2019 को "जैसा है जहां हैं, जैसा है जो भी है" तथा "जो कुछ भी वहां है आधार" पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण यहां नीचे प्रत्येक संपत्ति के समक्ष दिया गया है। यह नीलामी वेबसाईट http://www.bankeauctions.com, सी–1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार फेज–2, बिल्डिंग नं. 301, गुड़गाँव, टेलीफोन–0124–4302000 (एक्स्टें–213) के माध्यम से ऑन लाइन ई–नीलामी होगी।

ऋणधारक/मार्टगैजर का विवरण	बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण तथा ज्ञात अधिभारों	प्रतिभूत ऋण जिसकी वसूली के लिये 28.5.2019 को सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) खाता संख्या जिसमें ईएमडी जमा की जायेगी, आईएफएससी कोड	प्राधिकृत अधिकारी/सेवा प्रदाता का नाम एवं सम्पर्क नं.
एलीगैन्स इंडस्ट्रीज (सम्पत्ति का मार्टगैजर ही गारन्टर श्री सीताराम सिंह, पुत्र घुरे सिंह है)	मकान सं. सी–539, चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद–121004 (गारन्टर श्री सीताराम सिंह, पुत्र घुरे सिंह की सम्पत्ति) (सांकेतिक कब्जे के अधीन)	रु. 5.06 लाख+ अन्चार्ज्ड ब्याज	रु. 74.70 लाख	रु. 7.47 लाख खाता नं. 154711999999 आईएफएससी कोड-BKDN0711547	श्री गोविन्द त्रिपाठी 9152940649 0129–2410414 farida@denabank.co.in
मै. श्री जेएम कंक्रीट इंडिया प्रा.लि. (मार्टगैजर–श्रीमती अनीता, पत्नी श्री रविन्दर)	श्रीमती अनीता, पत्नी श्री रविन्दर के नाम में सम्पत्ति माप 244 वर्ग याईस, खेवत/खाता नं. 462/494, मुस्तातिल नं. 173, किल्ला नं. 1/2 (4–1), कित्ता रकबा 4 कनाल 1 मरला का 74 1/2/729 भाग में, वार्ड नं. 1, नांगली मोर, 66 केवी सब स्टेन के निकट तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव में। (सांकेतिक कब्जे के अधीन)	रु. 141.25 लाख+ अन्चार्ज्ड ब्याज	रु. 96.11 लाख	रु. 9.62 लाख खाता नं. 112411999999 आईएफएससी कोड-BKDN0711124	श्री रोजश भाकर 9152941124 0124–2309249 gurgaon@denabank.co.in
मै. श्री जे एम कंक्रीट इंडिया प्रा.लि. (मार्टगैजर–श्री रविन्दर पुत्र श्री सतपाल)	श्री रविन्दर पुत्र श्री सतपाल के नाम में आवासीय प्लॉट/सम्पत्ति माप 290 वर्ग याईस, खसरा नं. 637/677, खसरा नं. 426(7–0), 427 (9–5), कित्ता–2, रकबा–16 कनाल, 5मरला का 87/2925 भाग में, वार्ड नं. 2, नगर पालिका, रजौरिया कॉलेज के निकट तथा ग्राम सांप किन नागली, 66 केवीए पावर हाउस, नागली मोर, सोहना रोड, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव में स्थित (सांकेतिक कब्जे के अधीन)		रु. 44.11 लाख	रु. 4.42 लाख खाता नं. 112411999999 आईएफएससी कोड-BKDN0711124	श्री रोजश भाकर 9152941124 0124–2309249 gurgaon@denabank.co.in
श्री गणेश चन्द्र तथा श्रीमती गीता देवी	गाजियाबाद में स्थित फ्लैट नं. एसएफ–2, एलआईजी, दूसरा तल (बैक साइड) बिना छत के अधिकार के जो फ्रीहोल्ड प्लॉट नं.–एमएफ–17, शिवराम अपार्टमेन्ट, गुलधार–11 के नाम से विदित कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है, माप 41.805 वर्ग मी. (सांकेतिक कब्जे के अधीन)	रु. 9.79 लाख+ अन्चार्ज्ड ब्याज	रु. 11.90 लाख	रु. 1.19 लाख खाता नं. 165911999999 आईएफएससी कोड-BKDN0711659	श्री राहुल पाण्डेय, 9152940952 011–22549674 laxmin@denabank.co.in
मै. क्लासिक फैब्रिक्स	संजय कुमार गर्ग के नाम में सम्पत्ति सं. मकान सं. बी–1087/2, सम्पत्ति सं. 63 सी का भाग, खसरा नं. 177, 179 से 182, लालडोरा आबादी, ग्राम निमरी के क्षेत्र, शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 में शामिल सम्पत्ति, माप 75 वर्ग याईस का सभी भाग तथा हिस्सा (भौतिक कब्जे के अधीन)	रु. 25.00 लाख + अन्चार्ज्ड ब्याज	रु. 63.01 लाख	रु. 6.31 लाख खाता नं. 016011999999 आईएफएससी कोडः BKDN0710160	श्री एसएस नरुका 9152940160 011–23271891 daryag@denabank.co.in

ई–नीलामी 28.5.2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. के बीच आयोजित की जायेगी। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 27.5.2019 होगी। बिक्री के सभी विस्तृत नियम एवं शर्तें हमारे बैंक की वेबसाईट www.denabank.com तथा ई–नीलामी एजेन्सी की वेबसाईट http://www.bankeauctions.com पर देखी जा सकती है।
सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का विवरणः श्री विनोद, मो.– 9813887931, सी–1 इंडिया प्रा.लि., उद्योग विहार फेज–2, प्रथम तल, बिल्डिंग नं.– 301, गुड़गांव।

तिथिः 25.4.2019, स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, देना बैंक